



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2013/पौष 11, 1934

No. 01]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2013/PAUSA 11, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सं. एल-7/45(160)/2012-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् 2009 में यथा संशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड 31 के पश्चात्, एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(31क) "पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र" से ऐसा हाइड्रो केंद्र अभिप्रेत है जो निम्न उत्थापन जलाशय से उच्चतर उत्थापन जलाशय तक पम्पित जल ऊर्जा के रूप में भंडारित ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित करता है।"

(2) विनियम 3 के खंड (12) के उप-खंड (ख) , खंड 41 तथा खंड 42 के उप-खंड (घ) में "हाइड्रो उत्पादन केंद्र" शब्दों के पश्चात् "जिसमें पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र भी हैं" शब्द जोड़े जाएंगे।

**3. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (2) के चौथे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :

"परंतु यह भी कि आयोग, समय-समय, पर अधिनियम की धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के अनुसार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की संवीक्षा तथा कमीशनिंग अनुसूची के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (2) के छठे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"परंतु यह भी कि हाइड्रो उत्पादन की पूंजी लागत में ऊर्जा केंद्र के पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अवसंरचना तैयार करने की लागत भी सम्मिलित होगी यदि उत्पादन कंपनी अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में ऐसे व्यय को पूरा करने का आशय नहीं रखती है।"

**4. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के उप-खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :

"(iii) हाइड्रो उत्पादन केंद्र, जिसमें पम्पित भंडारण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक उत्पादन केंद्र भी सम्मिलित हैं - 1.5 प्रतिशत"

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (iv) के उप-खंड (ग) के पश्चात्, एक नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(घ) गैस इंस्युलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस) -3.5 प्रतिशत"

**5. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (2) में, "उपगत पूंजी व्यय" शब्दों के पश्चात् "या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित" शब्द जोड़े जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 9 के उप-खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(ix) ऊर्जा केंद्र के पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर ग्रामीण परिवारों को विश्वस्त ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अवसंरचना सृजित करने के मद्दे व्यय, यदि उत्पादन कंपनी अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में ऐसे व्यय को पूरा करने का आशय रखती है।"

**6. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम में आने वाले "लागू फ्रिक्वेंसी-लिंकड यूआई दर पर" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनियम तथा सहबद्ध विषय) विनियम 2009 के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे।

**7. मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (2) (परंतुकों के बिना) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"(2) थर्मल उत्पादन केंद्र, पारेषण प्रणाली तथा नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र के लिए 15.5 प्रतिशत तथा पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्रों सहित भंडारण आकार के उत्पादन केंद्र तथा तालाब सहित नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र के लिए 16.5 प्रतिशत की आधार दर पर रिटर्न ऑन ईक्विटी को पूर्व कर आधार पर संगणित किया जाएगा तथा इस विनियम के खंड (3) के अनुसार ग्रासड-अप किया जाएगा।"

**8. मूल विनियम के विनियम 21 के संशोधन:**

मूल विनियम के विनियम 21 के खंड (6) के अधीन, निम्नलिखित परंतु जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह कि उत्पादन कंपनी उत्पादन केंद्र के फायदाग्राहियों को इन विनियमों के परिशिष्ट-1 के भाग 1 के प्ररूप 15 के अनुसार, जीसीवी के पैरामीटरों तथा ईंधन की कीमत, अर्थात् स्वदेशी कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी, द्रव ईंधन आदि के ब्यौरे देंगे :

परंतु यह और कि स्वदेशी कोयला, ई-नीलामी, कोयले का अनुपात तथा यथा प्राप्त ईंधनों में औसत भारित जीसीवी प्राप्त सहित आयातित कोयले के ब्लैंडिंग अनुपात के ब्यौरे संबंधित मास के बिलों के साथ पृथक् रूप से प्रदान किए जाएंगे :

परंतु यह भी कि जीसीवी के पैरामीटरों के ब्यौरे और ईंधन की कीमत, अर्थात् स्वदेशी कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी द्रव ईंधन आदि के बिलों की कीमत तथा स्वदेशी कोयला, ई-नीलामी का अनुपात सहित आयातित कोयला के ब्लैडिंग अनुपात के ब्यौरे उत्पादन कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। ब्यौरों को तीन मास की अवधि के लिए मासिक आधार पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"

**9. मूल विनियम के विनियम 22 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 22 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :

"पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र से भिन्न हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा संदाय।"

(2) मूल विनियम के विनियम 22 के खंड (7) के पश्चात्, एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"7क. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित एनएचपीसी लिमिटेड के हाइड्रो उत्पादन केंद्रों की दशा में, जम्मू तथा कश्मीर संसाधन (विनियम तथा प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के अधीन राज्य जल संसाधन विकास प्राधिकरण, जम्मू को जल उपयोग प्रभारों के संदाय के लिए उपगत कोई भी व्यय फायदाग्राहियों द्वारा मास से मास के आधार पर उत्पादन केंद्रों से ऊर्जा की आपूर्ति के अनुपात में अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार के रूप में संदेय किया जाएगा :

परंतु यह कि एनएचपीसी राज्य जल संसाधन प्राधिकरण, जम्मू को पहले ही किए गए संदाय के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारों को इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को छह मासिक बराबर किस्तों में भारतीय स्टेट बैंक की अभिभावी आधार दर पर ब्याज सहित जल उपयोग प्रभारों के रूप वसूल करने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध माननीय जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की ओडब्ल्यूपी संख्या 604/2011 के विनिश्चय के अधीन रहते हुए होंगे तथा उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार उपांतरित समझे जाएंगे।

**10. विनियम 22क का जोड़ा जाना:**

मूल विनियम के विनियम 22 के पश्चात् एक नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

## "22क. पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र

(1) पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र की नियत लागत की संगणना इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संनियमों के आधार पर की जाएगी तथा उनकी वसूली क्षमता प्रभार के रूप में मासिक आधार पर की जाएगी। क्षमता प्रभार फायदाग्राहियों द्वारा उत्पादन केंद्र की विक्रीयोग्य क्षमता में अपने-अपने आबंटन के अनुपात में, अर्थात् क्षमता जिसमें गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा नहीं है, संदेय होंगे।

परंतु यह कि उत्पादन केंद्र की पहली यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा उत्पादन केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान, वार्षिक नियत लागत को, ऐसी अवधि के दौरान क्षमता प्रभार संदाय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, उत्पादन केंद्र के पूरा होने की लागत के नवीनतम प्राक्कलन के आधार पर अनंतिम रूप से तय किया जाएगा।

(2) कलेंडर मास के लिए पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र को संदेय क्षमता प्रभार निम्नलिखित होंगे :-

(एएफसी X एनडीएम/एनडीवाई) (रूपए में), यदि मास के दौरान वास्तविक केंद्र द्वारा उत्पादन  $\geq$  केंद्र द्वारा मास के दौरान उपयोग की गई पम्पिंग ऊर्जा का 75% है और

[(एएफसी X एनडीएम/एनडीवाई) X (व्यस्ततम घंटों के दौरान मास के दौरान वास्तविक उत्पादन/मास के दौरान केंद्र द्वारा उपयोग की गई पम्पिंग ऊर्जा का 75%) (रूपए में)], यदि मास के दौरान वास्तविक उत्पादन  $<$  केंद्र द्वारा मास के दौरान उपयोग की गई पम्पिंग ऊर्जा का 75% है।

जहां,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रूपए में

एनडीएम = मास में दिनों की संख्या

एनडीवाई = वर्ष में दिनों की संख्या

(3) ऊर्जा प्रभार डिजाइन ऊर्जा के आधिक्य में फायदाग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिए प्लस निम्न उत्पादन जलाशय से उच्चतर उत्पादन जलाशय से जल की पम्पिंग करने में प्रयुक्त ऊर्जा का 75% प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा संदेय होगा जो एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर प्रत्येक मास के दौरान 20 पैसे प्रति

केडब्ल्यूएच, निःशुल्क ऊर्जा को छोड़कर, के औसत ऊर्जा प्रभार दर के बराबर समान दर पर होंगे।

(4) मास के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित होंगे :

= 0.20 X [केडब्ल्यूएच में मास के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) - (मास के लिए डिजाइन ऊर्जा + मास के निम्न उत्पादन जलाशय से उच्चतर उत्पादन जलाशय तक जल की पम्पिंग में प्रयुक्त ऊर्जा का 75%)] X (100-एफईएचएस)/100

जहां,

डीईएम = नीचे खंड (6) के उपबंध के अधीन रहते हुए, एमडब्ल्यूएच में, हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए विनिर्दिष्ट मास के लिए डिजाइन ऊर्जा।

एफईएचएस = विनियम 32 में यथा परिभाषित, प्रतिशतता में, गृह राज्य के लिए निःशुल्क ऊर्जा, यदि कोई हो :

परंतु यह और कि यदि मास में अनुसूचित ऊर्जा मास के लिए डिजाइन ऊर्जा से कम है प्लस मास के निम्न उत्पादन जलाशय से उच्चतर उत्पादन जलाशय तक जल के पम्पिंग में प्रयुक्त ऊर्जा का 75% है तो फायदाग्राहियों द्वारा संदेय ऊर्जा प्रभार शून्य होंगे।

(5) उत्पादक घंटों के आधार पर, ऊपरी उत्पादन जलाशय में प्राकृतिक जल के ट्रैनिक प्रवाहों तथा ऊपरी उत्पादन जलाशय तथा निम्न उत्पादन जलाशय के जलाशय स्तर के अभिलेख को बनाए रखेगा। उत्पादन से उपलब्ध जल, जिसमें जल का प्राकृतिक प्रवाह भी सम्मिलित है, के साथ व्यस्ततम घंटे की अधिकतम आपूर्ति को बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी। यदि यह साबित हो जाता है कि उत्पादक जानबूझकर या अन्यथा किसी वैध कारणों से आफ-पीक अवधि के दौरान निम्न उत्पादन जलाशय से उच्चतर उत्पादन जलाशय तक जल की पम्पिंग नहीं कर रहा है या अपनी संभाव्यता के अनुकूल ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है या जल के प्राकृतिक प्रवाह को बर्बाद कर रहा है तो फायदाग्राहियों द्वारा दिन के क्षमता प्रभार संदेय नहीं होंगे। इस प्रयोजन के लिए, यूनिट/स्टेशन की आउटटेज, जिसमें योजनाबद्ध आउटटेज भी है, वर्ष में 15% तक बलपूर्वक आउटटेज को आफ-पीक अवधि के दौरान निम्न उत्पादन जलाशय से उच्चतर उत्पादन जलाशय तक जल की पम्पिंग नहीं करने के लिए या पम्पिंग जल या जल के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करने वाली ऊर्जा का उत्पादन नहीं करने का वैध कारण समझा जाएगा।

परंतु यह और कि वर्ष के दौरान वसूल किए गए कुल क्षमता प्रभारों का समायोजन वर्ष में 15 प्रतिशत से अधिक में कुल मशीन आउटेटों की दशा में निम्नलिखित रीति से आनुपातिक आधार पर किया जाएगा :

$$(एसीसी)_{समायोजन} = (एसीसी)_{आर} (100-एटीओ)/85$$

जहां,

$(एसीसी)_{समायोजन}$  - समायोजित वार्षिक क्षमता प्रभार

$(एसीसी)_{आर}$  - वसूले गए वार्षिक क्षमता प्रभार

एटीओ - वर्ष के लिए प्रतिशतता में कुल आउटेटज जिसमें बलपूर्वक तथा योजनाबद्ध आउटेटज भी है :

परंतु यह और कि उत्पादन केंद्र से ग्रिड संहिता की अनुसूचित प्रक्रिया के अनुसार दिन के सभी समय ब्लाकों के लिए आगे के दिन के आधार पर अपनी दैनिक मशीन उपलब्धता को घोषित करने की अपेक्षा की जाएगी।"

#### 11. मूल विनियम के विनियम 27 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 27 के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(iiक) पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में, डाउन स्ट्रीम जलाशय से अप-स्ट्रीम जलाशय तक पम्पिंग जल के लिए अपेक्षित विद्युत की मात्रा की व्यवस्था फायदाग्राहियों द्वारा उत्पादन केंद्र के बस-बार तक पारेषण तथा वितरण हानियों आदि को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके बदले में, फायदाग्राही व्यस्ततम घंटों के दौरान उत्पादन केंद्र से निम्न उत्पादन जलाशय से उच्चतर उत्पादन जलाशय तक की पम्पिंग में प्रयुक्त ऊर्जा के 75% के समकक्ष ऊर्जा के हकदार होंगे तथा उत्पादन केंद्र व्यस्ततम घंटों के दौरान विद्युत की ऐसी मात्रा की आपूर्ति की बाध्यता के अधीन होगा :

परंतु यह कि यदि फायदाग्राही आफ-पीक घंटों के दौरान ऊर्जा के अपेक्षित स्तर की आपूर्ति करने में असफल होते हैं तो व्यस्ततम घंटों के दौरान स्टेशन से उनकी ऊर्जा हकदारी में आनुपातिक कटौती की जाएगी :

परंतु यह और कि फायदाग्राही उत्पादन केंद्र में क्षमता की अपनी हिस्सेदारी को भागतः या पूर्णतः समनुदेशित या अभ्यर्पित कर सकेंगे, या क्षमता को केंद्रीय सरकार द्वारा पुनःआबंटित किया जा सकेगा तथा उस दशा में, क्षमता हिस्सेदारी का स्वामी या समनुदेशिती आफ-पीक घंटों में उत्पादन केंद्र के लिए समतुल्य ऊर्जा की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा व्यस्ततम घंटों के दौरान तस्थानी ऊर्जा के लिए उसी रीति से हकदार होंगे जिसके लिए मूल फायदाग्राही हकदार था।"

## 12. मूल विनियम के विनियम 32 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 32 के अधीन टिप्पण 3 के परंतुक में, निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया जाएगा :

"(जो राज्य नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कंपनी न हो)"

## 13. मूल विनियम में नए विनियमों का जोड़ा जाना:

मूल विनियम के विनियम 42 के पश्चात् एक नया विनियम जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

### "42क. फीस, प्रभार तथा खर्चों की प्रतिपूर्ति:

(1) निम्नलिखित फीस तथा प्रभार की प्रतिपूर्ति फायदाग्राहियों द्वारा प्रत्यक्षतः उत्पादन केंद्रों में उनके आबंटन के अनुपात में या पारेषण ग्राहकों द्वारा 3.6.2011 तक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 के विनियम 33 तथा तत्पश्चात् समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक प्रभारों तथा हानियों में हिस्सेदारी) विनियम, 2010 के अनुसार अवधारित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में उनके शेयर के अनुपात में की जाएगी;

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की फीस तथा प्रभार और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 के अधीन उत्पादन कंपनियों या अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों (जिसमें समझे गए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं) द्वारा संदत्त फीस तथा प्रभार;

(ख) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 या उसके किसी पश्चातवर्ती संशोधन या पुनः अधिनियमिति के अनुसार अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों (जिसमें समझे गए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं) द्वारा संदत्त अनुज्ञप्तिधारी फीस;



(ग) जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियम तथा प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा राज्य जल संसाधन विकास प्राधिकरण, जम्मू को संदत्त अनुज्ञप्ति फीस;

(2) उत्पादन कंपनी तथा अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (जिसमें समझे गए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं) इस विनियम के खंड (1) में यथाउल्लिखित उस फीस की वसूली करने के हकदार होंगे जो इन विनियमों की अधिसूचना तक संदत्त की जा चुकी हो।

(3) आयोग अपने विवेकानुसार तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए तथा प्रभावित पक्षकारों को सुनने के पश्चात् कोई ऐसी फीस या खर्चों की पूर्तिपूर्ति अनुज्ञात कर सकेगा जो आवश्यक समझी जाए।"

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/12]

**टिप्पण :—** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 में तारीख 20 जनवरी, 2009, संख्या 10 में प्रकाशित किए गए थे। मूल विनियमों के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, संख्या 92, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 2 मई, 2011 तथा मूल विनियम के दूसरे संशोधन को भारत के राजपत्र, संख्या 129, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 22.6.2011 में प्रकाशित किए गए थे।

02 GF/13-3

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December 2012

**No. L-7/145(160)/2012—CERC.**—In exercise of the powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009, as amended in 2009 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

**1. Short title and commencement:**

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Third Amendment) Regulations, 2012.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of Regulation 3 of the Principal Regulations**

(1) A new clause shall be added after clause 31 of Regulation 3 of the Principal Regulation as under:-

"(31a) 'pumped storage hydro generating station' means a hydro station which generates power through energy stored in the form of water energy, pumped from a lower elevation reservoir to a higher elevation reservoir."

(2) In sub-clause (b) of clause (12), clause (41) and sub-clause (d) of clause (42) of Regulation 3, the words "including pumped storage hydro generation station" shall be inserted after the words "hydro generating stations."

**3. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations:**

(1) Fourth Proviso to clause (2) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided also that the Commission may issue guidelines for scrutiny and commissioning schedule of the hydro-electric projects in accordance with the tariff policy issued by the Central Government under section 3 of the Act from time to time.”

(2) A new proviso shall be added after sixth proviso to clause (2) of Regulation 7 of Principal Regulations, namely:

“Provided also that the capital cost of the generating station shall include the cost for creating infrastructure for supply of power to the rural households located within a radius of five kilometers of the power station if the generating company does not intend to meet such expenditure as part of its Corporate Social Responsibility.”

**4. Amendment of Regulation 8 of Principal Regulations:**

(1) Sub clause (iii) of Regulation 8 of the Principal Regulation shall be substituted as under:-

“(iii) Hydro generating stations including pumped storage hydro-electric generating station – 1.5%.”

(2) A new sub-clause shall be added after sub-clause (c) of clause (iv) of Regulation 8 of Principal Regulations as under, namely:

“(d) Gas Insulated Sub-station (GIS) -3.5%”

**5. Amendment of Regulation 9 of the Principal Regulations:**

(1) In clause (2) of Regulation 9 of the Principal Regulations, the words “or projected to be incurred” shall be added after the words “the capital expenditure incurred”.

(2) A new sub-clause shall be added after sub-clause (viii) of Regulation 9 of the Principal Regulations as under, namely:

“(ix) Expenditure on account of creation of infrastructure for supply of reliable power to rural households within a radius of five kilometers of the power station if, the generating company does not intend to meet such expenditure as part of its Corporate Social Responsibility.”

**6. Amendment of Regulation 11 of Principal Regulations:** The words "at the applicable frequency-linked UI rate" appearing in Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted with the words "in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange and Related Matters) Regulations, 2009 as amended from time to time."

**7. Amendment of Regulation 15 of the Principal Regulations:**

(1) Clause (2) of Regulation 15 of the Principal Regulations (without the provisos) shall be substituted as under, namely:

"(2) Return on Equity shall be computed on pre-tax basis at the base rate of 15.5% for thermal generating stations, transmission system and run of the river generating station, and 16.5% for the storage type generating stations including pumped storage hydro generating stations and run of river generating station with pondage and shall be grossed up as per clause (3) of this regulation."

**8. Amendment of Regulation 21 of the Principal Regulations:**

The following provisos shall be added under Clause (6) of Regulation 21 of the Principal Regulations as under, namely:

"Provided that generating company shall provide to the beneficiaries of the generating station the details of parameters of GCV and price of fuel i.e. domestic coal, imported coal, e-auction coal, lignite, natural gas, RLNG, liquid fuel etc., as per the form 15 of the Part-I of Appendix I to these regulations:

Provided further that the details of blending ratio of the imported coal with domestic coal, proportion of e-auction coal and the weighted average GCV of the fuels as received shall also be provided separately, along with the bills of the respective month:

Provided further that copies of the bills and details of parameters of GCV and price of fuel i.e. domestic coal, imported coal, e-auction coal, lignite, natural gas, RLNG, liquid fuel etc., details of blending ratio of the imported coal with domestic coal, proportion of e-auction coal shall also be displayed on the website of the generating company. The details should be available on its website on monthly basis for a period of three months."

**9. Amendment of Regulation 22 of the Principal Regulations:**

(1) The heading of Regulation 22 of the Principal Regulation shall be substituted as under:-

**"Computation and Payment of Capacity charge and Energy Charge for Hydro Generating Stations other than Pumped Storage Hydro Generating Stations."**

(2) A new clause shall be added after clause (7) of Regulation 22 of the Principal Regulations as under, namely:

"7a. In case of the hydro generating stations of NHPC Limited located in the State of Jammu and Kashmir, any expenditure incurred for payment of water usage charges to the State Water Resources Development Authority, Jammu under Jammu & Kashmir Water Resources (Regulations and Management) Act, 2010 shall be payable by the beneficiaries as additional energy charge in proportion of the supply of power from the generating stations on month to month basis:

Provided that NHPC shall be entitled to recover the additional energy charges for the payment already made to State Water Resources Authority, Jammu as water usage charges as on the date of notification of these regulations along with interest at the prevailing State Bank of India base rate in six equal monthly installments:

Provided further that the provisions of this clause shall be subject to the decision of the Hon'ble High Court of Jammu & Kashmir in OWP No.604/2011 and shall stand modified in accordance with the decision of the High Court."

**10. Addition of Regulation 22A:**

A new regulation shall be added after Regulation 22 of the Principal Regulation as under, namely:

**"22A. Pumped Storage Hydro Generating Stations**

(1) The fixed cost of a pumped storage hydro generating station shall be computed on annual basis, based on norms specified under these regulations, and recovered on monthly basis as capacity charge. The capacity charge shall be payable by the beneficiaries in proportion to their respective allocation in the saleable capacity of the generating station, that is to say, in the capacity excluding the free power to the home State:

Provided that during the period between the date of commercial operation of the first unit of the generating station and the date of commercial operation of the generating station, the

annual fixed cost shall be worked out provisionally based on the latest estimate of the completion cost for the generating station, for the purpose of determining the capacity charge payment during such period.

(2) The capacity charge payable to a pumped storage hydro generating station for a calendar month shall be:

(AFC x NDM / NDY) (in Rupees), if actual Generation during the month is  $\geq 75\%$  of the Pumping Energy consumed by the station during the month and

{(AFC x NDM / NDY) x (Actual Generation during the month during peak hours/ 75% of the Pumping Energy consumed by the station during the month) (in Rupees)}, if actual Generation during the month is  $< 75\%$  of the Pumping Energy consumed by the station during the month.

Where,

AFC = Annual fixed cost specified for the year, in Rupees.

NDM = Number of days in the month

NDY = Number of days in the year

(3) The energy charge shall be payable by every beneficiary for the total energy scheduled to be supplied to the beneficiary in excess of the design energy plus 75% of the energy utilized in pumping the water from the lower elevation reservoir to the higher elevation reservoir, at a flat rate equal to the average energy charge rate of 20 paise per kWh, excluding free energy, if any, during the calendar month, on ex power plant basis.

(4) Energy charge payable to the generating company for a month shall be:

$= 0.20 \times \{ \text{Scheduled energy (ex-bus) for the month in kWh} - (\text{Design Energy for the month} + 75\% \text{ of the energy utilized in pumping the water from the lower elevation reservoir to the higher elevation reservoir of the month}) \} \times (100 - \text{FEHS}) / 100.$

Where,

DEm = Design energy for the month specified for the hydro generating station, in MWh, subject to the provision in clause (6) below.

FEHS = Free energy for home State, in per cent, as defined in regulation 32, if any.

Provided further that in case the Scheduled energy in a month is less than the Design Energy for the month plus 75% of the energy utilized in pumping the water from the lower elevation reservoir to the higher elevation reservoir of the month, then the energy charges payable by the beneficiaries shall be zero.

(5) The Generator shall maintain the record of daily inflows of natural water into the upper elevation reservoir and the reservoir levels of upper elevation reservoir and lower elevation reservoir on hourly basis. The generator shall be required to maximize the peak hour supplies with the available water including the natural flow of water. In case it is established that generator is deliberately or otherwise without any valid reason, is not pumping water from lower elevation reservoir to the higher elevation during off-peak period or not generating power to its potential or wasting natural flow of water, the capacity charges of the day shall not be payable by the beneficiary. For this purpose, outages of the unit(s)/station including planned outages and the forced outages up to the 15% in a year shall be construed as the valid reason for not pumping water from lower elevation reservoir to the higher elevation during off-peak period or not generating power using energy of pumped water or natural flow of water,

Provided further that the total capacity charges recovered during the year shall be adjusted on prorata basis in the following manner in the event of total machine outages in a year exceeds 15%:

$$(ACC)_{adj} = (ACC)_R \times (100 - ATO) / 85$$

Where,

$(ACC)_{adj}$  – Adjusted Annual capacity Charges

$(ACC)_R$  – Annual capacity Charges recovered

ATO - Total Outages in percentage for the year including forced and Planned outages

Provided further that the generating station shall be required to declare its machine availability daily on day ahead basis for all the time blocks of the day in line with the scheduling procedure of Grid Code."

02 GI/13-5



**11. Amendment of Regulation 27 of the Principal Regulations**

(1) A new clause shall be added after clause (ii) of Regulation 27 of the Principal Regulations as under, namely:

“(iia) In case of Pumped storage hydro generating stations, the quantum of electricity required for pumping water from down-stream reservoir to up-stream reservoir shall be arranged by the beneficiaries duly taking into account the transmission and distribution losses etc. up to the bus bar of the generating station. In return beneficiaries will be entitled to equivalent energy of 75% of the energy utilized in pumping the water from the lower elevation reservoir to the higher elevation reservoir from the generating station during peak hours and the generating station shall be under obligation to supply such quantum of electricity during peak hours:

Provided that in the event of the beneficiaries failing to supply the desired level of energy during off-peak hours, there will be pro-rata reduction in their energy entitlement from the station during peak hours:

Provided further that the beneficiaries may assign or surrender their share of capacity in the generating station, in part or full, or the capacity may be reallocated by the Central Government, and in that event the owner or assignee of the capacity share shall be responsible for arranging the equivalent energy to the generating station in off-peak hours, and be entitled to corresponding energy during peak hours in the same way as the original beneficiary was entitled.”

**12. Amendment of Regulation 32 of the Principal Regulations**

In the proviso to Note 3 under Regulation 32 of the Principal Regulations, the following shall be deleted:

“(not being a State controlled or owned company)”

**13. Addition of New Regulation to the Principal Regulations**

A new regulation shall be added after Regulation 42 of the Principal Regulations as under, namely:

**“42A. Reimbursement of Fees, Charges and Expenses**

(1) The following fees and charges shall be reimbursed directly by the beneficiaries in proportion of their allocation in the generating stations or by the transmission customers in proportion to their share in the inter-State transmission systems determined in accordance with Regulation 33 of the Central Electricity



Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 upto 30.6.2011 and thereafter, in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 as amended from time to time;

(a) Fees and charges paid by the generating companies and inter-State transmission licensees (including deemed inter-State transmission licensee) under Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time;

(b) Licence fees paid by the inter-State transmission licensees (including the deemed inter-State transmission licensee) in terms of the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2008 and Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations 2012 or any subsequent amendment or re-enactment thereof;

(c) Licence fees paid by NHPC Ltd to the State Water Resources Development Authority, Jammu in accordance with the provisions of Jammu & Kashmir Water Resources (Regulations and Management) Act, 2010.

(2) The generating companies and inter-State transmission licensees (including deemed inter-State transmission licensee) shall be entitled to recover the fees and charges as mentioned in clause (1) of this regulation which have been paid till the notification of these regulations.

(3) The Commission may, in its discretion and for the reasons to be recorded in writing and after hearing the affected parties, allow reimbursement of any fee or expenses as may be considered necessary."

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./150/12]

**Note:**—The Principal Regulations were published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 on 20th January 2009 as No.10. The first amendment to the Principal Regulations was published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 on 2<sup>nd</sup> May 2011 as No. 92 and the second amendment to the Principal Regulations was published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 on 22<sup>nd</sup> June 2011 as Ser No. 129.